# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 292 सन 2019
अनवान :–

1. प्रेमकुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भोमाराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. तारूराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
3. सहीराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
4. बिदामी पत्नी पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
6. निरमा पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
7. चन्द्रवती पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
8. कविता पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
9. मोनिका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
10. प्रियंका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
11. भंवरी पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
12. मंजु पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 01/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 307/273 के खसरा न0 467/1 की 3.635हैक व खसरा न0 537 की कुल 1.404हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पन्नालाल पुत्र शेराराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा शेराराम वल्द श्योलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा शेराराम वल्द श्योलाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा शेराराम वल्द श्योलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के पिता पन्नालाल पुत्र शेराराम का देहान्त हो चुका है पन्नाला पुत्र शेराराम के जायज वारिसान उसकी पत्नी /पुत्र/पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो पन्नालाल पुत्र शेराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादी के भाई है ने बाहमी बटवारा के अन्य चक में भूमि प्राप्त की जाकर वादी भूम में अपने हकों का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की माता एवं पन्नालाल की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 जो वादी की बहने एवं पन्नलाल की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा क अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 अपने हकि हस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता शेराराम वल्द श्योलाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है वादी के पिता पन्नालाल का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो पन्नालाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादी के भाई है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि अन्य चक में बाहमी बटवारा में प्राप्त हो चुकी है वाद भूमि में अपने हकों का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 , 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 307/273 के खसरा न0 467/1 की 3.635हैक्‍ व खसरा न0 537 की कुल 1.404हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पन्नालाल पुत्र शेराराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा शेराराम वल्द श्योलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा शेराराम वल्द श्योलाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा शेराराम वल्द श्योलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के पिता पन्नालाल पुत्र शेराराम-का देहान्त हो चुका है पन्नाला पुत्र शेराराम के जायज वारिसान उसकी पत्नी /पुत्र/पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो पन्नालाल पुत्र शेराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादी के भाई है ने बाहमी बटवारा के अन्य चक में भूमि प्राप्त की जाकर वादी भूम में अपने हकों का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की माता एवं पन्नालाल की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 जो वादी की बहने एवं पन्नलाल की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा क अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा

Scanned with CamScanner

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 307/273 के खसरा न0 467/1 की 3.635हैक व खसरा न0 537 की कुल 1.404हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पन्नालाल पुत्र शेराराम के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि शेराराम वल्द श्योलाल के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा शेराराम वल्द श्योलाल के नाम से दर्ज है वादी के दादा शेराराम वल्द श्योलाल के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता पन्नालाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के पिता पन्नालाल का देहान्त भी हो चुका है विरास्तन से भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 वाद भूमि के विरास्तन से हकदार है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 307/273 के खसरा न0 467/1 की 3.635हैक व खसरा न0 537 की कुल 1.404हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पन्नालाल के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं प्रतिवदी संख्या 11 ,12 के पास खसरा न0 467/2 की 0.265हैक भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिराल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. प्रेमकुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भोमाराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. तारूराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
3. सहीराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
4. बिदामी पत्नी पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
6. निरमा पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
7. चन्द्रवती पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
8. कविता पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
9. मोनिका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
10. प्रियंका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
11. भंवरी पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
12. मंजु पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुइया तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 292 सन 2019 निर्णय दिनांक–** 01/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 307/273 के खसरा न0 467/1 की 3.635हैक्‍ व खसरा न0 537 की कुल 1.404हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पन्नालाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं प्रतिवदी संख्या 11 ,12 के पास खसरा न0 467/2 की 0.265हैक्‍ भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner